भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 799

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

799. **श्री अरविंद धर्मापुरीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व भर के विभिन्न देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है:

(ख) निजामाबाद के विशिष्ट ब्यौरे सहित तेलंगाना राज्य से अनिवासी भारतीयों की जिला-बार संख्या के संबंध में आंकड़े क्या हैं;

(ग) अनिवासी भारतीयों को उनके गृह जिलों में काम करने और सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं।

(घ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना के लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार कुल संख्या कितनी है और तेलंगाना का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अनिवासी भारतीयों को उक्त योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सहायता अथवा लाभ प्रदान किए गए हैं; और

(च) वर्ष 2019 से इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) और (ख) विभिन्न देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की कुल संख्या अनुबंध-क पर दी गई है। मंत्रालय एनआरआई की राज्य-वार एवं जिला-वार जानकारी नहीं रखता है।

(ग) एनआरआई को उनके गृह जिलों से जोड़ने और उनके सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले उपाय संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(घ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) के कुल लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-ख पर दी गई है। मंत्रालय पीबीबीवाई लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी नहीं रखता है।

(ङ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) ईसीआर देशों में जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के कामगारों के लिए एक अनिवार्य बीमा योजना है। 1 अगस्त 2017 से प्रभावी संशोधित पीबीबीवाई विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट धारकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और दो साल के लिए 275 रुपये या तीन साल की वैधता के लिए 375 रुपये के मामूली बीमा प्रीमियम पर अन्य लाभ प्रदान करती है। पीबीबीवाई में कई अन्य प्रावधान हैं जैसे:

i) बीमा के दौरान दुर्घटनावश लगी चोट और/या बीमारी/व्याधि/रोग के कारण आपातकालीन स्थिति में बीमाधारक के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 1 लाख रुपये (प्रति अस्पताल भर्ती पर पचास हजार रुपये) तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, चाहे वह भारत/तीसरे देश में हो या उसके रोजगार के देश में हो।

ii) दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में, शव को ले जाने की लागत के अलावा, बीमाधारक के पते के निकटतम भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक परिचारक के इकॉनमी क्लास में वापसी हवाई यात्रा पर होने वाले खर्च की भी बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। बीमाधारक की स्थायी विकलांगता की स्थिति में, बीमाधारक के पते के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक परिचारक के इकॉनमी क्लास में वापसी हवाई यात्रा पर होने वाले खर्च की भी बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

iii) बीमाधारक के बीमार पड़ जाने पर या कार्य को आरंभ करने या जारी रखने या पुनः आरंभ करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाने पर और विदेशी नियोक्ता द्वारा बीमा कवर लेने के पहले बारह महीनों के भीतर सेवा अनुबंध समाप्त कर दिए जाने पर बीमाधारक के पते के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक वास्तविक एकतरफा इकोनॉमी क्लास हवाई किराया बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते प्रत्यावर्तन के आधार संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र द्वारा प्रमाणित हों और हवाई टिकट मूल रूप में प्रस्तुत किए गए हों।

iv) विदेश में अपने कार्यस्थल या गंतव्य पर पहुंचने पर, यदि प्रवासी कामगार की नियोक्ता द्वारा अगवानी नहीं की जाती है या यदि नौकरी/रोजगार अनुबंध/करार में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो बीमित व्यक्ति के लिए अलाभकारी हो, या यदि रोजगार की अवधि के भीतर प्रवासी की किसी गलती के बिना रोजगार समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो बीमा कंपनी द्वारा बीमाधारक के पते के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एकतरफा इकोनॉमी क्लास हवाई किराए की भी प्रतिपूर्ति

की जाएगी, बशर्ते देश वापसी के लिए आधार संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र द्वारा प्रमाणित हो और हवाई टिकट मूल रूप में प्रस्तुत किए गए हों।

v) ऐसे मामलों में जहां देश वापसी की व्यवस्था भारतीय मिशन/केंद्र द्वारा की जाती है, बीमा कंपनी संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र को वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

vi) इस पॉलिसी के तहत किए गए बीमा में महिला प्रवासियों को मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा, जो प्रति पॉलिसी अवधि में सामान्य प्रसव के मामले में न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये और सिजेरियन ऑपरेशन के मामले में पचास हजार रुपये तक के कवर के अधीन होगा। रोजगार के देश में चिकित्सा उपचार के मामले में, मातृत्व लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब अपेक्षित दस्तावेज संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र द्वारा प्रमाणित हों। प्रतिपूर्ति वास्तविक राशि तक सीमित होगी।

vii) भारत में प्रवासी कामगार का परिवार, जिसमें पति/पत्नी तथा इक्कीस वर्ष की आयु तक के पहले दो आश्रित बच्चे शामिल हैं, बीमाधारक की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पॉलिसी अवधि के दौरान प्रति वर्ष अधिकतम पचास हजार रुपये तक अस्पताल भर्ती के कवर का हकदार होगा।

(च) वर्ष 2006-07 से 30 सितंबर, 2024 तक पीबीबीवाई के तहत 79 लाख से अधिक पॉलिसियाँ जारी की जा चुकी हैं। इस अवधि के दौरान 3190 दावे प्राप्त हुए हैं और 2194 का निपटान किया गया है। चूँकि पीबीबीवाई एक बीमा योजना है, अतः इस योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

*****

अनुबंध- क

दिनांक 01.01.2024 तक संबंधित देशों में रहने वाले एनआरआई (अवरोही क्रम में)

क्र. सं.	देश	एनआरआई
1.	संयुक्त अरब अमीरात	3554274
2.	सऊदी अरब	2460603
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2077158
4.	कनाडा	1016274
5.	कुवैत	993284
6.	कतर	835175
7.	नेपाल	700000
8.	ओमान	684771
9.	यूनाइटेड किंगडम	369000
10.	ऑस्ट्रेलिया	350000
11.	सिंगापुर	350000
12.	बहरीन	323908
13.	जर्मनी	208000
14.	इटली	167333
15.	मलेशिया	163127
16.	न्यूज़ीलैंड	150000
17.	फिलिपींस	147518
18.	पुर्तगाल	90000
19.	रूस	60172
20.	भूटान	60000
21.	दक्षिण अफ्रीका	60000
22.	स्पेन	51606
23.	नीदरलैंड	50787

24.	जापान	46262
25.	स्वीडन	40000
26.	युगांडा	35000
27.	यूनान	33486
28.	चीन (हांगकांग)	32790
29.	आयरलैंड	30000
30.	फ्रांस	29000
31.	मालदीव	27065
32.	थाईलैंड	25000
33.	मॉरीशस	23708
34.	पोलैंड	23000
35.	इजराइल	20000
36.	केन्या	20000
37.	माल्टा	18000
38.	डेनमार्क	17460
39.	बेल्जियम	17438
40.	इराक	17100
41.	स्विट्ज़रलैंड	17059
42.	जॉर्डन	16897
43.	नॉर्वे	16890
44.	कोरिया (गणराज्य)	16714
45.	किर्गिज़स्तान	16550
46.	ब्रूनेइ दारूस्सलम	15000
47.	कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य)	15000
48.	घाना	15000
49.	तंजानिया	15000
50.	इंडोनेशिया	14817

51.	साइप्रस	14612
52.	ऑस्ट्रिया और मोंटेनेग्रो और होली सी	14300
53.	क्रोएशिया	11982
54.	ईरान	10320
55.	कजाखस्तान	9815
56.	चेक गणराज्य	9090
57.	बोत्सवाना	9000
58.	हंगरी	8457
59.	फिनलैंड	8245
60.	सेशेल्स	8180
61.	मलावी	8143
62.	मेक्सिको	8000
63.	वियतनाम	7550
64.	श्रीलंका	7500
65.	चीन	7400
66.	बांग्लादेश	7000
67.	उज़्बेकिस्तान	5939
68.	इथियोपिया	5900
69.	जॉर्जिया	5750
70.	रोमानिया	5700
71.	चीन (ताइवान)	5303
72.	जमैका	5000
73.	जाम्बिया	5000
74.	लक्जमबर्ग	4508
75.	आर्मीनिया	4500
76.	लिथुआनिया	4470
77.	पनामा	4000

78.	पापुआ न्यू गिनी	4000
79.	अलजीरिया	3800
80.	मिस्र	3141
81.	तुर्किये (तुर्की)	3083
82.	ब्राजील	3046
83.	लेबनान	3000
84.	लाइबेरिया	3000
85.	मोज़ाम्बिक	3000
86.	सिएरा लिओन	3000
87.	स्लोवाक गणराज्य	2949
88.	रवांडा	2940
89.	लातविया	2900
90.	मेडागास्कर	2826
91.	सर्बिया	2800
92.	कोत डी आइवर (आइवरी कोस्ट)	2738
93.	म्यांमार	2660
94.	यूक्रेन	2610
95.	अंगोला	2514
96.	फिजी	2283
97.	सिंट मार्टेन	2170
98.	गाम्बिया	2100
99.	सेनेगल	2100
100.	एस्तोनिया	1900
101.	एस्वातिनी (पूर्व में स्वाज़ीलैंड)	1900
102.	चिली	1800
103.	तजाकिस्तान	1800
104.	कंबोडिया	1753

105.	गुयाना	1500
106.	लेसोथो (अधिराज्य)	1500
107.	गिनी (गणराज्य)	1390
108.	त्रिनिदाद और टोबैगो	1266
109.	गैबॉन	1200
110.	कोस्टा रिका	1011
111.	अज़रबाइजान	1007
112.	कैमरून	1000
113.	ज़िबूती	1000
114.	ज़िम्बाब्वे	1000
115.	बेनिन	996
116.	टोगो	973
117.	मोलदोवा	950
118.	बेलोरूस	927
119.	केमन द्वीपसमूह	900
120.	दक्षिण सूडान	900
121.	क्यूबा	868
122.	कांगो (गणराज्य)	850
123.	अर्जेंटीना	825
124.	स्लोवेनिया	822
125.	उरुग्वे	773
126.	बुल्गारिया	700
127.	बुरुंडी	700
128.	क्यूरासाओ	700
129.	यमन	700
130.	अरूबा	600
131.	बारबाडोस	600

132.	लाओस	587
133.	माले	558
134.	सेंट लूसिया	550
135.	आइसलैंड	528
136.	सेंट किट्स और नेविस	500
137.	कोलंबिया	483
138.	अल्बानिया	450
139.	नामिबिया	450
140.	मोरक्को	434
141.	मॉरिटानिया	310
142.	एंटीगुआ और बारबुडा	300
143.	गिनी-बिसाऊ	300
144.	बहामा	280
145.	इक्वेडोर	269
146.	इक्वेटोरियल गिनी	250
147.	बेलीज़	200
148.	ग्रेनेडा	200
149.	परागुवे	200
150.	तुर्क और कैकोस द्वीप समूह	200
151.	पेरू	192
152.	फ्रांस (ग्वाडेलोप)	180
153.	इरिट्रिया	172
154.	सूरीनाम	160
155.	फ्रांस (रीयूनियन द्वीप)	159
156.	बुर्किना फासो	150
157.	फ्रांस (सेंट मार्टिन)	150
158.	नाइजर	150

159.	चाड	120
160.	तुर्कमेनिस्तान	105
161.	ईस्ट तिमोर	100
162.	मंगोलिया	100
163.	नाइजीरिया	100
164.	सोमालिया	100
165.	सीरिया	97
166.	फ्रांस (मार्टिनिक)	90
167.	ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स	80
168.	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	70
169.	ग्वाटेमाला	65
170.	डोमिनिकन गणराज्य	57
171.	बोनेयर और स्मॉलर आइसलैण्ड्स	54
172.	एंडोरा	50
173.	सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस	50
174.	सूडान	50
175.	बोलीविया	48
176.	कोमोरोस	42
177.	डोमिनिका (राष्ट्रमंडल)	40
178.	निकारागुआ	39
179.	हैती	36
180.	लीश्टेंस्टाइन	35
181.	माइक्रोनेशिया (संघीय राज्य)	35
182.	वेनेज़ुएला	33
183.	होंडुरास	30
184.	मैसेडोनिया	29
185.	पलाउ	29

186.	काबो वर्डे	25
187.	बोस्निया और हर्जेगोविना	20
188.	अल साल्वाडोर	20
189.	नाउरू	20
190.	साओ टोम और प्रिंसिपे	20
191.	सोलोमन आइसलैंड	20
192.	होली सी	15
193.	कोरिया (डीपीआर)	15
194.	मोंटेसेरात	15
195.	फिलिस्तीन	11
196.	मोनाको	10
197.	मार्शल द्वीपसमूह	7
198.	टोंगा	5
199.	किरिबाती	2
कुल		15850612

अनुबंध–ख

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

वर्ष	**जारी योजनाओं की संख्या**	**प्राप्त दावों की संख्या**	**निपटाए गए दावों की संख्या**	**निपटाए गए दावों का प्रतिशत**
2006-07	49707	181	58	32%
2007-08	44414	149	33	22%
2008-09	121661	270	148	55%
2009-10	366788	134	155	116%
2010-11	511485	153	169	110%
2011-12	542842	189	183	97%
2012-13	853102	225	196	87%
2013-14	836416	267	225	84%
2014-15	943205	368	336	91%
2015-16	794891	247	221	89%
2016-17	518961	194	109	56%
2017-18	397157	204	89	44%
2018-19	374874	118	81	69%
2019-20	389393	91	37	41%
2020-21	40628	72	38	53%
2021-22	240178	89	54	61%
2022-23	422650	107	26	24.29%
2023-24	300233	73	22	25.35%
2024-25 30 सितंबर 2024 तक	239717	59	14	
कुल	**7986302**	**3190**	**2194**	

*****